वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क के साथ पठित राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यान के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित मोटर यानों पर प्रवेश कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम मोटर यानों पर प्रवेश कर के लिए एमनेस्टी स्कीम-2017 है।

(2) यह स्कीम दिनांक 08.03.2017 से प्रवृत्त होगी और 30 अप्रैल, 2017 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) ''आवेदक'' से निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके स्कीम के लिए विकल्प देने वाला कोई आयातक अभिप्रेत है; और

(ii) ''विभाग'' से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. स्कीम का लागू होना.- स्कीम ऐसे आयातक को लागू होगी जिसके विरुद्ध दिनांक 08.03.2017 को अधिनियम के अधीन कोई मांग परादेय है और वह 31 दिसम्बर, 2016 तक सृजित हुई है।

4. स्कीम के अधीन फायदे.- ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की रकम नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित आयातक के प्रवर्ग के लिए स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित ऐसी शर्तों की पूर्ति पर स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक अधित्यजित की जायेगी :-

सारणी

क्र. सं.	**आयातक का प्रवर्ग**	**शर्तें**	**ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा**
1	**2**	**3**	**4**
1.	आयातक जिसके विरुद्ध दिनांक 31. 12.2016 को या उससे	(i) आवेदक ने दिनांक 30.04.2017 तक कर की संपूर्ण रकम अतिशेष परादेय मांग के दस प्रतिशत के साथ (मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार) निक्षिप्त करा दी है; और	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज,

	पूर्व मांग सृजित की गयी है।	(ii) आवेदक ने मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक प्रस्तुत कर दिया है यदि कोई मामला किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।	शास्ति और विलम्ब फीस से संबंधित मांग की शेष रकम।

स्पष्टीकरण:(1) जहां कोई रकम मांग के विरूद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, स्कीम के जारी होने से पूर्व निक्षिप्त की गयी है और स्कीम के अधीन अतिशेष परादेय मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में निक्षिप्त रकम को, यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो पहले कर दायित्व के विरूद्ध, अतिशेष यदि कोई हो, अन्य राशि के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि, यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम निक्षिप्त की गयी है तो वह तद्नुसार समायोजित की जायेगी।

(2) जहां मांग पूर्ण रूप से ब्याज और/या शास्ति और/या विलम्ब फीस को समाविष्ट करती है, वहां ऐसे मामलों में कर की रकम निक्षिप्त की गयी समझी जायेगी।

(3) जहां कोई आवेदन मांग से संबंधित परिशुद्धि के लिए, जिसके लिए आयातक स्कीम के अधीन विकल्प का आशय रखता है, निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, तब ऐसे आयातक से लिखित में संसूचना पर, वह उसे ऐसी संसूचना से सात दिवस के भीतर या 30 अप्रैल, 2017 तक, जो भी पहले हो, निपटायेगा।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए, आवेदक विभाग की शासकीय वेबसाइट से दिनांक 30.04.2017 तक इस स्कीम से संलग्न प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में आवेदन जनित करेगा और ऐसा जनित प्ररूप मो.या.ए.एस.-I कर और अन्य राशि, यदि कोई हो, के निक्षेप के सबूत के साथ और न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण से लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए फाइल किये गये आवेदन की स्व अधिप्रमाणित प्रति, यदि लागू हो, दिनांक 07.05.2017 तक निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) खण्ड 3 के अध्यधीन रहते हुए, यदि परादेय मांग में बहु प्रविष्टियां अन्तर्वलित हैं तो आवेदक प्रविष्टियों की किसी भी संख्या, जो वह चाहता है, के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रत्येक परादेय मांग की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में पृथक प्रविष्टियां की जायेंगी और उपर्युक्त वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित शर्तें प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः लागू होंगी।

(4) आवेदक प्रत्येक प्रविष्टि के लिए पृथकतः रकम का निक्षेप, यदि स्कीम के अधीन निक्षेप किया जाना अपेक्षित हो, करेगा और प्रत्येक चालान प्ररूप मो.या.ए.एस.-I में वर्णित किया जायेगा।

(5) जहां आयातक के विरूद्ध कोई मांग परादेय है और मामला विभाग द्वारा फाइल किया गया है, वहां ऐसे मामलों में आवेदक खण्ड 4 में वर्णित सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में यथा वर्णित रकम का निक्षेप करने के पश्चात्, स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में आवेदक से ऐसे मामले के प्रत्याहरण का कोई सबूत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और मामला विभाग द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करेगा और समाधान होने पर, स्कीम से संलग्न प्ररूप मो.या.ए.एस.-II को पूर्ण करेगा और मांग और संग्रहण रजिस्टर में से ब्याज और/या शास्ति और/या, यथास्थिति, विलम्ब फीस की परादेय मांग को भी कम करेगा।

(7) निर्धारण प्राधिकारी संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) को प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा और वह, उन मामलों में जहां अधित्यजन की कुल रकम दस लाख रुपये से अधिक है, प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति आयुक्त को भी अग्रेषित करेगा।

(8) निर्धारण प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप मो.या.ए.एस.-II की प्रति अग्रेषित करेगा।

6. शर्त.- इस स्कीम के अधीन अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

प्ररूप मो.या.ए.एस.-I
(खण्ड 5 देखिए)
(आयातक द्वारा भरा जाये)
भाग-क

1. आवेदक का नाम और पता :
2. वृत/वार्ड का नाम :
3. रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो :
4. ई-मेल आई.डी., यदि कोई हो :
5. मांग के ब्यौरे : (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)		
			कर	अन्य	कुल
1.					
2.					

6. निक्षिप्त रकम के ब्यौरे : (प्रत्येक परादेय मांग के लिए पृथक प्रविष्टि की जायेगी)

क्र.सं.	वर्ष	निक्षिप्त रकम (रु.)	निक्षेप की तारीख	जी.आर.एन/सी.आई.एन.

भाग-ख
परादेय मांग विवाद-ग्रस्त होने की दशा में भरा जाये

7. मामले के फाइल किये जाने की तारीख :
8. न्यायालय/फोरम का नाम जिसमें मामला लंबित है :
9. मामले की प्रकृतिः अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका/विशेष अपील/अभियोजन/अन्य
10. मामले की वर्तमान प्रास्थिति और उसमें अंतर्ग्रस्त विवाद्यक :
11. आवेदक की हैसियत : अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
12. लम्बित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन फाइल किये जाने की तारीख (यदि मामला आवेदक द्वारा फाइल किया गया है :

आवेदक के हस्ताक्षरः
दिनांक : नाम :
स्थान : हैसियत :

सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : नाम :

स्थान : हैसियत :

प्ररूप मो.या.ए.एस.-II

(खण्ड 5 देखिए)

(निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भरा जाये)

(i) वृत/ वार्ड का नाम :

(ii) आयातक का नाम और पताः

(iii) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई होः

(iv) प्राधिकारी जिसका आदेश मुकदमे के अधीन है :

(v) मुकदमे की दशा में, मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख :

(vi) आवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा फाइल किये गये अभियोजन की दशा में, अभियोजन की मंजूरी की तारीख और संख्याः

(vii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख पर मांग और संग्रहण रजिस्टर के अनुसार परादेय मांग के ब्यौरे :

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मांग की रकम (रु.)		
			कर	अन्य	कुल
1.					
2.					

(viii) आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख तक परादेय मांग पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम : रु. ....

(ix) निक्षिप्त रकम का सत्यापन :

क्र.सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	निक्षिप्त रकम (रु.)		निक्षेप की तारीख
			कर	अन्य	
1.					
2.					

सत्यापन

मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर लिया है और सत्यापित करता हूं कि आवेदक ने अधिसूचना सं.एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2017-99 दिनांक 08.03.2017 की शर्तों का पालन किया है, इसलिए निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस की अतिशेष परादेय मांग, मांग और संग्रहण रजिस्टर से घटा दी गयी है:-

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	आदेश की तारीख	मा.सं.र. के अनुसार परादेय रकम		निक्षिप्त रकम		अधित्यजित रकम		
							मांग की अतिशेष रकम	स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक , प्रोद्भूत ब्याज	कुल
			कर	अन्य	कर	अन्य			
1.									
2.									

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

नामः

स्थानः

पदनामः

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99]

राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, read with section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles-2017, hereinafter referred to as the scheme, for waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short Title and Operative Period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme for Entry Tax on Motor Vehicles -2017.

(2) This Scheme shall come into force with effect from 08.03.2017 and shall remain in force upto 30th April, 2017.

2. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) "Applicant" means an importer, opting for the scheme by submitting an application to the assessing authority or the authority concerned; and

(ii) "Department" means the Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(2) The words and expressions used but not defined in this scheme shall have the same meaning as assigned to them in the said Act and rules made thereunder.

3. Applicability of the Scheme.- The scheme shall be applicable to the importer against whom any demand is outstanding under the Act as on 08.03.2017 and the same has been created upto 31st December, 2016.

4. Benefits under the Scheme.- The amount of interest, penalty and late fee shall be waived to the extent as mentioned in column number 4 on fulfillment of such conditions as mentioned in column number 3 for the category of importer as mentioned in column number 2 of the table given below:-

Table

S. No.	Category of Importer	Conditions	Extent of Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Importer against whom demand has been created on or before 31.12.2016.	(i) The applicant has deposited the whole amount of tax along with ten percent of the balance outstanding demand (as per Demand and Collection Register) upto 30.04.2017; and (ii) The applicant has submitted an application for withdrawal of case, if any pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, upto 30.04.2017.	Remaining amount of demand related to interest, penalty and late fee along with interest accrued upto the date of order under the scheme.

Explanation: (1) Where any amount has been deposited prior to issuance of the scheme against the demand after its creation and an application under the scheme is being submitted for the balance outstanding demand, the amount already deposited, if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, the balance, if any, shall be adjusted against the other sum. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, then it shall be adjusted accordingly.

(2) Where the demand comprises entirely of interest and/or penalty and/or late fee, in such cases, the amount of tax shall be deemed to have been deposited.

(3) Where any application for rectification related to the demand, for which the importer intends to opt under the scheme is pending before the assessing authority or authority concerned, then on intimation in writing from such importer, he shall dispose of it within seven days of such intimation or upto 30th April, 2017, whichever is earlier.

5. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under the scheme, the applicant shall generate the application in Form MV AS-I appended to the scheme upto 30.04 2017 from the official website of the department, and such generated Form MV AS-I shall be submitted to the assessing authority or authority concerned along with the proof of deposit of tax and other sum, if any, and copy of self authenticated application filed for withdrawal of pending case from the Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, if applicable, upto 07.05.2017.
(2) Subject to clause 3, if the outstanding demand involves multiple entries, the applicant may apply for any number of entries as he wants.

(3) Separate entries in Form MV AS-I shall be made for each entry of outstanding demand and conditions as mentioned in column number 3 of the above mentioned table, shall separately apply for each entry.

(4) Applicant shall deposit the amount, if required to be deposited under this scheme, separately for each entry and separate challan shall be mentioned in Form MV AS-I.

(5) Where any demand is outstanding against the importer and the case has been filed by the department, in such cases, the applicant may opt for the scheme after depositing the amount as mentioned in column number 3 of the table mentioned in clause 4, in such circumstances the applicant is not required to submit any proof of withdrawal of such case and the case shall be withdrawn by the department.

(6) The assessing authority shall on receipt of the application, verify the facts mentioned in the application and on being satisfied, he shall complete the Form MV AS-II appended to this scheme and shall reduce the outstanding demand of interest and/or penalty and / or late fee, as the case may be, from Demand and Collection Register.

(7) The assessing authority shall forward the copy of Form MV AS-II to the Deputy Commissioner (Administration) concerned and he shall also forward the copy of Form MV AS-II to the Commissioner, in the cases where total amount of waiver is above rupees ten lac.

(8) The assessing authority shall also forward the copy of Form MV AS-II to the Applicant.

6. Condition.- No refund shall be allowed due to waiver under this scheme.

FORM MV AS-I
(See clause 5)
[To be filled by the importer]
PART-A

1. Name and address of the Applicant:
2. Name of Circle / Ward :
3. Registration No. , if any:
4. E-mail id, if any:
5. Details of demand: (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S. No.	Year	Date of order	Amount of demand		
			Tax	Other	Total
1.					
2.					

6. Details of deposit of the amount (Separate entry shall be made for each outstanding demand)

S.No.	Year	Amount Deposited (Rs.)	Date of Deposit	GRN/ CIN

PART-B

To be filled in case of outstanding demand is under dispute.

7. Date of filing of case :
8. Name of the Court / Forum before which case is pending:
9. Nature of case : Appeal / Revision / Writ Petition / Special Appeal/Prosecution /Others
10. Present status of the case and issues involved therein:
11. Status of the applicant: Appellant / Respondent:
12. Date of application filed for withdrawal of pending case (if the case is filed by the applicant):

Signature of the Applicant

Date: Name:

Place: Status

Verification

I do hereby verify that the information submitted above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the Applicant

Date: Name:

Place: Status

FORM MV AS-II
(See clause 5)
[To be filled by Assessing Authority]

(i) Name of Circle / Ward:
(ii) Name and Address of importer:
(iii) Registration Number, if any:
(iv) Authority whose order is under litigation :
(v) In case of litigation, date of submission of application for withdrawal of case:
(vi) In case of prosecution filed by the department against the applicant, Number and date of sanction of prosecution:

(vii) Details of demand outstanding as per demand and collection register on the date of submission of the application

S. No.	Year	Date of order	Amount of Demand		
			Tax	Other	Total
1.					
2.					

(viii) Amount of accrued Interest on outstanding demand upto the date of submission of application: Rs.................................

(ix) Verification of the amount deposited:

S. No.	Year	Date of order	Amount deposited		Date of deposit
			Tax	Other	
1.					
2.					

Verification

I have examined the application submitted by the applicant and do verify that the applicant has complied with the conditions of the notification number F.12(14)FD/Tax/2017-99 dated 08.03.2017, therefore, the balance outstanding demand of interest, penalty and late fee as mentioned in the following table, has been reduced from demand and collection register:-

Table

S. No	Year	Date of order	Amount outstanding as per DCR		Amount Deposited		Amount waived		
							Balance amount of demand	Accrued Interest up to the date of order under the Scheme	Total
			Tax	Other	Tax	Other			
1.									
2.									

Signature of the Assessing Authority
Name:
Designation

Date:
Place:

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-99]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government